प्रेस नोट
दिनांक 09.02.2025

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा 02 मोटरसाईकिल चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद चोरी की मोटरसाईकिल बरामद–

कार्यवाहीः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–90/25, धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 मोटरसाईकिल चोरों–01. बृजेश कश्यप उर्फ बाबू पुत्र स्व0 शिवप्रसाद नि0 गांधी पार्क सगरा तालाब मालवीय नगर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा, 02. सूरज वर्मा पुत्र स्व0 शिवप्रसाद नि0 मालवीय नगर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को गांधी पार्क टाउन हाल के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की स्पेलेण्डर प्लस मोटरसाईकिल को बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 06.02.2025 को वादी मनोज कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री ठाकुर प्रसाद श्रीवास्तव नि0 ग्राम उज्जैनी कला थाना धानेपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 05.02.2025 को मुण्डन प्रोग्राम हेतु अंजुमन क्लब निकट गांधी पार्क गोण्डा गया था। वही से अज्ञात चोरों द्वारा मेरी स्पेलेण्डर प्लस मोटरसाईकिल चोरी कर लिया गया है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 09.02.2025 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के आधार पर घटना कारित करने वाले 02 शातिर चोरों–01. बृजेश कश्यप उर्फ बाबू, 02. सूरज वर्मा को गांधी पार्क टाउन हाल के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की स्पेलेण्डर प्लस मोटरसाईकिल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. बृजेश कश्यप उर्फ बाबू पुत्र स्व0 शिवप्रसाद नि0 गांधी पार्क सगरा तालाब मालवीय नगर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. सूरज वर्मा पुत्र स्व0 शिवप्रसाद नि0 मालवीय नगर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग–

01. मु0अ0सं0–90/25, धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद स्पेलेण्डर प्लस मोटरसाईकिल नम्बर–यू0पी043एल08141

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 सुरेश यादव।
02. का0 कृष्णा यादव।
01. का0 सुरेश कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 09.02.2025

थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा जालसाजी करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी करनैलगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना कर्नलगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–216/23, धारा 419,420,467,468,471,506 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रमेश कुमार पुत्र स्व0 राम सबूरे नि0 ग्राम सुक्खापुरवा मौजा सकरौरा थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा को ग्राम सुक्खापुरवा से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
वादी अमर कन्नौजिया पुत्र सुरेश कन्नौजिया नि0 पाण्डेय चौरा डीहा थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा की तहरीर पर थाना कर्नलगंज में उनके दादा जी की फर्जी वसीयत तैयार कर विपक्षीगणों द्वारा जमीन कब्जा कर लेने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना उ0नि0 जितेन्द्र कुमार द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 09.02.2025 को थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त रमेश कुमार को ग्राम सुक्खापुरवा से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. रमेश कुमार पुत्र स्व0 राम सबूरे नि0 ग्राम सुक्खापुरवा मौजा सकरौरा थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–216/23, धारा 419,420,467,468,471 भादवि थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 रमेश कुमार।
02. हे0का0 अरविन्दर सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 09.02.2025

परिवार परामर्श केन्द्र में 02 जोड़े एक साथ रहने को हुए राजीः–

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित परिवार परामर्श केन्द्र में पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में परामर्शदाताओं द्वारा बिछुडे जोड़ो की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया गया तथा 02 जोडो को समझा बुझाकर सुखी जीवन जीने हेतु राजी कर लिया गया।

परिवार परामर्श केन्द्र में उपस्थिति सदस्यगण–

क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा, महिला थाना प्रभारी श्रीमती प्रतिभा सिंह, श्री गंगाधर शुक्ल, श्री शशि भारती, श्री राजमंगल मोर्या, श्रीमती संतोष ओझा, श्रीमती अनीता श्रीवास्तव, यशोदा नन्दन त्रिपाठी, म0आ0 ज्योति राजभर, म0आ0 शाहिना बानों, म0आ0 नेहा सिंह आदि उपस्थित रही।

मीडिया सेल, गोंडा।

प्रेस नोट
दिनांक 09.02.2025

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा 02 दहेज हत्याभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण, क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–49/25 धारा 80(2),85 बी0एन0एस0 व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तों–01. सीताराम पासवान उर्फ अजय पुत्र गोहली, 02. गोलही पासवान पुत्र स्व0 धनई निवासीगण ग्राम फतेहपुर गोगिया पसियनपुरवा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा को हड़ियागाड़ा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 08.02.2025 को वाददी बांके लाल पुत्र गल्लर नि0 बेगवां मौजा पथार थाना तरबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 देहात में लिखित तहरीर दी गयी कि मेरी लड़की की शादी 10 माह पूर्व ग्राम फत्तेपुर मौजा गोगिया थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के रहने वाले सीताराम पुत्र गोलई के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसके पति व उसके परिजनों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था तथा कल दिनांक 07.02.2025 को मेरी बेटी को उसके पति व परिजनों द्वारा जान से मार दिया गया है। वादी की तहरीर पर थाना को0 देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्तों–01. सीताराम पासवान उर्फ अजय, 02. गोलई पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. सीताराम पासवान उर्फ अजय पुत्र गोहली नि0 ग्राम फतेहपुर गोगिया पसियनपुरवा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
02. गोलही पासवान पुत्र स्व0 धनई नि0 ग्राम फतेहपुर गोगिया पसियनपुरवा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–49/24 धारा 80(2),85 बीएन0एस व 3/4 डीपी एक्ट थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 अजय कुमार सिंह।
02. का0 जागेश्वर गौड़।
03. का0 संजय कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 09.02.2025

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गयी मोटर बरामद–

कार्यवाहीः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–50/25, धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रियाजुद्दीन उर्फ पेटवली पुत्र नसरूद्दीन नि0 पूरे तिवारी खोरहंसा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा को ग्राम पूरे तिवारी से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पानी की मोटर को बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 09.02.2025 को वादी अमित तिवारी पुत्र ओंकार नाथ तिवारी नि0 पूरे तिवारी थाना को0 देहात जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 देहात में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी रियाजुद्दीन उर्फ पेटबली द्वारा मेरे घर से पानी की मोटर चोरी कर लिया गया है। वादी की तहरीर पर थाना को0 देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना को0 देहात पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए चोरी करने के आरोपी अभियुक्त रियाजुद्दीन उर्फ पेटबली को ग्राम पूरे तिवारी से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पानी की मोटर बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. रियाजुद्दीन उर्फ पेटवली पुत्र नसरूद्दीन नि0 पूरे तिवारी खोरहंसा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–50/25, धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद बिजली की मोटर

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 गोपाल सिंह।
02. का0 अजय प्रताप सिंह।
03. का0 उज्जाला सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 09.02.2025</u>

<u>पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा मध्य रात्रि में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों के साथ की गयी समीक्षा गोष्ठी, लंबित अभियोगों के विवेचना, लंबित जांच प्रार्थना पत्रों आदि की स्थिति की समीक्षा कर दिए गए आवश्यक दिशा–निर्देशः–</u>

दिनांक 09.02.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा कैम्प कार्यलय में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों के साथ गोष्ठी कर लंबित अभियोगों के विवेचना, लंबित जांच प्रार्थना पत्रों व लंबित प्रारंभिक जांचो आदि की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। महोदय द्वारा सर्वप्रथम काफी दिनों से लंबित चल रही विवेचनाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी कर इतनी लम्बी अवधि तक विवेचनाओं के लंबित रखने का कारण जानते हुए विवेचनाओं की स्थिति में आ रही परेशानियों के बारे जाना तथा गुण दोष के आधार पर जल्द से जल्द विवेचनाओं के निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा लंबित विवेचनाओं विशेषकर अनावरित अभियोगो के निस्तारण तथा इनामिया, जिलाबदर अभियुक्तों की जानकारी हासिल की गयी तथा गैंगेस्टर के प्रकरणों में अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 14(1) के तहत कितने प्रकरणों में सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही आदि के बारे में समीक्षा की गयी तथा कितने अपराधियों के विरूद्ध एच0एस0 खोले गए, कितने अभियुक्तों के विरूद्ध गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी व कितने गैंग पंजीकरण की कार्यवाही की गयी के बारे में समीक्षा की गयी। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पेशेवर अपराधियों को चिन्हित कर ज्यादा से ज्यादा गैंग रजिस्ट्रेशन हेतु निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उनके क्षेत्रान्तर्गत ऐसे अपराधी जिन्होने अपराधिक कृत्य के माध्यम से सम्पत्ति अर्जित की गयी है उनके विरूद्ध बीएनएसएस की धारा 107 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। महोदय द्वारा ऑपरेशन कनविक्शन के अन्तर्गत चिन्हित वादों/मुकदमों की समीक्षा की गयी तथा नये मुकदमों को चिन्हित करने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही वाहन चोरी/नकबजनी के हॉटस्पॉट की समीक्षा करते हुए चोरी/नकबजनी के अपराधों में अंकुश लगाने हेतु रात्रिगश्त को और अधिक प्रभावी करने तथा प्रमुख चौराहों, संवेदनशील क्षेत्रों व जनपदीय सीमा पर बैरियर लगवाकर संदिग्ध व्यक्तियों, वस्तुओं एवं वाहनों को चेक करने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। महोदय द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पीड़ित फरियादियों के आने पर उनकी समस्याओं को सहानुभूति पूर्वक सुनकर उसका तत्काल निस्तारण किया जाए।

<u>इस अवसर पर जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय व जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण मौजूद रहे।</u>

मीडिया सेल, गोण्डा